प्रधानमंत्री रोजगार सृजन योजना

Prime Minister's Employment Generation Programme (PMEGP)

➢ प्रस्तावना :

योजना का क्रियान्वयन खादी एवं ग्रामोद्योग आयोग (KVIC) द्वारा नोडल ऐजेन्सी के रूप में KVIC, KVIB, DIC एवं बैंक के माध्यम से किया जा रहा हैं। योजना अन्तर्गत अनुदान सहायता बैंक खातें के माध्यम से सीधे लाभार्थी को प्रदान किया जाता हैं।

➢ **उददेश्य :**

- नये स्वरोजगार उपक्रमों, परियोजनाओं, सूक्ष्म उद्यमों की स्थापना के माध्यम से ग्रामीण एवं शहरी क्षेत्र में रोजगार के अवसर पैदा करना,
- व्यापक रूप से बिखरे हुए पारंपरिक कारिगरों, ग्रामीण और शहरी बेरोजगार युवाओं को एक साथ लाने के लिए और उनके स्थान पर स्वरोजगार के अवसर प्रदान करने के लिए।
- देश में पारंपरिक एवं संभावित कारिगरों और ग्रामीण एवं शहरी बेरोजगार युवाओं को निरंतर और स्थायी रोजगार प्रदान करना ताकि ग्रामीण युवाओ का शहरी क्षेत्रों में पलायन रोकने में मदद मिल सके।
- कारिगरों की मजदुरी अर्जन क्षमता बढ़ाने और ग्रामीण व शहरी रोजगार की वृद्धि दर में योगदान करने के लिए।

➢ **पात्रता /प्रयोजन :**

- व्यक्ति/हितग्राही जिसकी उम्र 18 वर्ष से अधिक हो,
- विनिर्माण क्षेत्र में राशि रू.10.00 लाख एवं सेवा/व्यवसाय क्षेत्र में राशि रू.5.00 लाख से अधिक की परियोजनाओं हेतु कम से कम 08 वीं पास होना चाहिए।
- केवल नवीन परियोजनाओं पर ही विचार किया जा सकेगा।
- पूर्व से किसी भी शासकीय योजना अन्तर्गत अनुदान प्राप्त इकाईयां योजना अन्तर्गत पात्र नही होंगी।

- **अधिकतम योजना लागत :**

विनिर्माण क्षेत्र (Manufacturing Sector) : रू.50.00 लाख
सेवा/व्यवसाय क्षेत्र (Business & Service Sector) : रू.20.00 लाख

- **ऋण का प्रकार :**

सावधि एवं कार्यशील पूंजी हेतु। (सिर्फ कार्यशील पूंजी के प्रकरण पात्र नहीं होगे।)

- **अंशदान एवं अनुदान :**

Category of beneficiary	Beneficiary's Contribution (of project cost)	Rate of Subsidy (of project cost)	
Area (Location of project/unit)		Urban	Rural
General Category	10%	15	25%
SC/ST/OBC/Minority/Women/Ex-servicemen/Physically handicapped)	05%	25%	35%

- **ब्याज दर :**

रू.10.00 लाख तक 12.15% वार्षिक। 10 लाख से अधिक पर क्रेडिट रेटिंग अनुसार।

- **प्रभार :**

प्रक्रिया शुल्क, दस्तावेज शुल्क एवं निरीक्षण प्रभार बैंक नियमानुसार देय होंगे।

- **पुनर्भुगतान** :

03 से 07 वर्ष (स्थगन अवधि को छोडकर)

- **अन्य :**

  - PMEGP आवेदन (https://www.kviconline.gov.in/pmegpeportal/pmegphome/index.jsp) e-Portal के माध्यम से Online ही किया जा सकेगा।
  - योजना की विस्तृत दिशा निर्देश https://msme.gov.in/schemes/pm-employment-generation-program-and-other-credit-support-schemes पर दिये गये हैं।
  - पश्चातवर्ती मार्जिन अुनदान राशि संबंधित बैंक की नोडल शाखा द्वारा देय होगी।
  - नकारात्मक इकाई – नकारात्मक इकाई की सूचि में उल्लेखित प्रयोजनो हेतु ऋण प्रदान नहीं किया जा सकेगा।

- **अधिक जानकारी के लिए नजदीकी शाखा से सम्पर्क करें। ऋण प्रकरण का निराकरण निर्धारित मानदण्ड के तहत किया जावेगा।**

....